an>

Title :Need to take adequate measures for welfare of women prisoners.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) ः वर्तमान सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर काफी बल दिया गया है। मैं आज जो महिलायें किसी न किसी कारणवश जेल में बंद हैं, उनके विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूं कि जो कैदी विचाराधीन हैं, उनके संबंध में मंत्रालय की क्या नीति हैं? कौन से कदम उठाया जा रहे हैं? कई बार उनके उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। पिछले 2 साल में ऐसे कितने मामले देशभर में सामने आये? साथ ही साथ उनको मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उस हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था हैं? उनकी रिहाई के बाद पुनःवास हेतु सरकार क्या कदम उठा रही हैं? वे फिर से मुख्यधारा में सक्रिय रहे एवं अपराधिक रास्तों पर वापस न जायें साथ ही साथ जिन कैदियों के साथ उनके बच्चे रह रहे हैं, उनकी शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य का उचित विकास हो उस हेतु जेल प्रशासन द्वारा एन.जी.ओ. एवं समाज में से ऐसे विषयों में रूचि रखने वाले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से साइकोलोजी विभाग के विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाये, ऐसा मेरा सुझाव है। साथ ही साथ जेल में बंद रहते समय उनके द्वारा किये गये कार्यों से उनको मिलने वाली आर्थिक राशि में से कुछ राशि की व्यवस्था सरकार कुछ इस प्रकार से करे ताकि वे वह पैसा उनको रिहाई के बाद पुनर्वसन में उपयोगी हो सके। मेरा यह भी सुझाव है कि इस हेतु क्रेडिट सोसायटी के तौर पर सरकार कुछ व्यवस्था करे। ताकि रिहाई के बाद उन पैसों से क्रेडिट सोसायटी से सहायता प्राप्त हो सके।